2016 का विधेयक संख्यांक 258

[दि एडमिरल्टी (जुरिस्डिकशन एंड सेटलमेंट आफ मैरिटाइम क्लेम) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016

नावधिकरण अधिकारिता, जलयान से संबंधित विधिक कार्यवाहियां, उनको बंदी बनाने, निरोध, विक्रय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य मामले के संबंध में विधि का समेकन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2016 है । संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।

(2) यह प्रत्येक जलयान, स्वामी के निवास या अधिवास के स्थान को विचार में लाए बिना लागू होगा :

परंतु यह अधिनियम अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में परिभाषित कोई अन्तर्देशीय जलयान या निर्माणाधीन कोई जलयान जिसे न तो जल में उतारा गया है और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जलयान होने के लिए अधिसूचित किया गया है, को लागू नहीं होगा । 1917 का 1

परंतु यह और कि यह अधिनिमय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी युद्दपोत, सहायक नौसेना या स्वामित्व या प्रचालित अन्य जलयान पर लागू नहीं होगा और किसी गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त और किसी विदेशी जलयान पर भी लागू नहीं होगा जिसे किसी गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसको केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में,--

(क) "नावधिकरण विषयक अधिकारिता" से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समुद्री दावा की बाबत धारा 3 के अधीन किसी उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता अभिप्रेत है ;

(ख) "नावधिकरण विषयक कार्यवाही" से समुद्री अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(ग) "बंदी बनाना" से समुद्री दावा को सुनिश्चित करना जिसके अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश के निष्पादन या पुष्टि में जलयान का अभिग्रहण करना भी है, किसी उच्च न्यायालय के आदेश से किसी जलयान का निरोध या निर्बंधन के लिए हटाया जाना अभिप्रेत है ;

(घ) "माल" से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जीवित पशु, आधान, रंग-पट्टिका भी है या परिवहन की ऐसी अन्य वस्तुएं या पैक करना या सामान के इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि ऐसी संपत्ति को चाहे उसे जलयान के डेक पर वहन करना है या उसके अधीन ;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से नावधिकरण विषयक कार्यवाहियों के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय, अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय, कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय, कोचि स्थित केरल उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य उच्च न्यायालय अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है ;

(च) "समुद्री दावा " से धारा 4 में निर्दिष्ट दावा अभिप्रेत है ;

(छ) "समुद्री धारणाधिकार" से धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ङ.) में निर्दिष्ट जलयान के स्वामी, पट्टांतरण चार्टरर, प्रबंधक या प्रचालक अभिप्रेत है जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन निरंतर बना रहे ;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

1908 का 15

(झ) "पत्तन" का वही अर्थ होगा जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में उसका है ;

(ञ) "विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "राज्यक्षेत्रीय सागर खंड" का वही अर्थ होगा जो राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में उसका है ; और

1976 का 80

(ठ) "जलयान" से कोई पोत, नाव, चलन जलयान या अन्य प्रकार का प्रयुक्त जलयान या जलमार्ग से नौपरिवहन में उपयोग के लिए संनिर्मित हो चाहे वह चालित हो या न हो और जिसके अंतर्गत बार्ज, लाईटर या अन्य चालू जलयान, मंडराता हुआ जलयान, अपतटीय औद्योगिक मोबाइल यूनिट, डुबा हुआ जलयान या ऐसे जलयान जो लटका हुआ और शेष है, भी है किन्तु जिसमें समुद्रयान नहीं है, अंतरदेशीय जलमार्ग जलयान, संनिर्माणाधीन जलयान जिसको समुद्र में नहीं उतारा गया है, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण--किसी जलयान के इस खंड के प्रयोजन के लिए तब तक जलयान न समझा जाए जब तक उस विस्तार तक टुटा हुआ न हो अर्थात् जैसा सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाए, नौपरिवहन के लिए उपयोग में न लाया जाए ।

(2) इसमें प्रयुक्त ऐसा शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनयम, 1958 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम, में क्रमशः उनके हैं ।

1958 का 44

अध्याय 2

नावधिकरण अधिकारिता और समुद्री दावा

नावधिकरण अधिकारिता ।

3. इस अधिनियम के सभी समुद्री दावों की बाबत अधिकारता धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों के अध्यधीन संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होंगे और उस पर और जिनके अंतर्गत इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उनके अपने-अपने अधिकारिता के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड भी हैं, प्रयोक्तव्य होंगे ।

1976 का 80

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्धीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमा तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगा ।

समुद्री दावा ।

4. (1) उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसी जलयान के विरूद्ध उत्पन्न होने वाले किसी समुद्री दावा के संबंध में सुनवाई और किसी प्रश्न के अवधारण की अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा–

(क) किसी जलयान के कब्जाधीन क्षेत्र या स्वामित्व संबंधी किसी विवाद में ;

(ख) किसी जलयान के सह-स्वामियों के बीच जलयान के नियोजन और उपार्जन के विषय में किसी विवाद में ;

(ग) किसी जलयान के संबंध में उसी प्रकृति के किसी बंधक या प्रभार में ;

(घ) किसी जलायन के प्रचालन से हुई हानि या क्षति ;

(ङ) किसी जलयान के प्रचालन से संसक्त चाहे वह भूमि पर या जल पर उद्भूत हुआ हो ;

(च) किसी माल या उससे संसक्त हानि या क्षति ;

(छ) किसी जलयान के संबंध में कोई करार चाहे वह भाड़े पर पोत लेने की संविदा में अंतर्विष्ट हो या अन्यथा ;

(ज) जलयान का उपयोग करने या भाड़े पर लेने के संबंध में कोई करार चाहे वह चार्टरर पक्षकार में अंतर्विष्ट हो या अन्यथा ;

(झ) बचाव सेवा जिसके अंतर्गत किसी जलायन की बाबत बचाव सेवा संबंधी विशेष प्रतिकर जो स्वयं या उसके स्थोरा से पर्यावरण की क्षति भी है, यदि लागू हो ;

(ञ) अनुकर्षण ;

(ट) यान मार्गदर्शन ;

(ठ) ऐसे यान, सामग्री, विनश्वर या अनश्वर भंडार, बंकर ईंधन, उपस्कर (जिसके अंतर्गत आधान भी है) उसके प्रचालन, प्रबंध, परिरक्षण या रखरखाव जिसके अंतर्गत देय या उदगृहित फीस भी है के लिए उस जलयान से की गई आपूर्ति या सेवा ;

(ड) जलयान का निर्माण पुनर्निर्माण मरम्मत, संपरिवतर्तित उपस्करित करने ;

(ढ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी पत्तन, बंदरगाह, नहर, नौकाघाट या हल्कायंत्र, अन्य टूल्स, जल मार्ग या इसी प्रकार के किसी प्रभार के अनुसार शोध्य ;

(ण) मजदूरी या मजदूरी में से आंबटित कोई शोध्य राशि या शोध्य अधिनिर्णीत कोई राशि जो उनकी ओर से संदेय मजदूरी या प्रत्यावर्तन की लागत या सामाजिक बीमा अंशदान के रुप में वसूलनीय हो या किसी ऐसी रकम जिसे एक कर्मचारी के रुप में किसी व्यक्ति को संदाय करने की किसी नियोजन की बाध्यता है चाहे ऐसी बाध्यता तत्समय प्रवृत्त नियोजन की संविदा के कारण या विधि के प्रवर्तन द्वारा (जिसके अंतर्गत किसी देश की विधि या प्रवर्तन भी है) उत्पन्न बाध्यता हो या नहीं, और इसके अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 150 और धारा 151 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी जलयान से संबंधित प्रबंधन और चालक कर्मीदल करार के अधीन उत्पन्न होने वाले कोई दावा भी है, के लिए जलयान के मास्टर या कर्मीदल के सदस्य, उसके वारिसों तथा उनके आश्रितों द्वारा किया गया दावा ; 1958 का 44

(त) जलयान या उसके स्वामियों के निमित्त उपगत संवितरण ;

(थ) विशिष्ट औसत या साधारण औसत ;

(द) जलयान के विक्रय के लिए किसी संविदा से उदभूत विवाद

(ध) जलयान की बाबत बीमा किस्त (जिसके अंतर्गत पारस्परिक बीमा मांगें भी हैं) जलयान के स्वामी या पट्टांतरण चार्टरर द्वारा या उनकी ओर से संदेय ;

(न) जलयान के स्वामी या पट्टांतरण चार्टरर द्वारा या उनकी ओर से जलयान की बाबत संदेय कोई कमीशन, दलाली या अभिकरण फीस ;

(प) पर्यावरण, तटरेखा या संबद्ध हितों को जलयान द्वारा कारित क्षति या क्षति की आशंका; ऐसी क्षति को रोकने, न्यूनतम रखने या हटाने के लिए किए गए उपाय; ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर; वास्तविक रुप से किए गए या किए जाने वाले पर्यावरण के पुनःस्थापन के लिए युक्ति युक्त उपायों की लागत; ऐसी क्षति के संबंध में तृतीय पक्षकार द्वारा उपगत या उपगत होने के लिए संभाव्य हानि और ऐसी कोई क्षति, लागत या हानि जो इस खंड में चिन्हित लागत या हानि के समरुप प्रकृति की है ;

(फ) ऐसे जलयान को हटाने, नष्ट करने अहानिकर बनाने जो डूब गया है, विधवंसित, उत्कूलित या परित्यक्त, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई चीज भी है जो ऐसे जलयान के फलक पर है या रही है, से संबंधित लागत या व्यय और परित्यक्त जलयान के परिरक्षण और उसके कर्मीदल के रखरखाव से संबंधित लागतें या व्यय; और

(ब) समुद्री धारणाधिकार

स्पष्टीकरण--खंड (थ) के प्रयोजन के लिए "विशिष्ट औसत" और "साधारण औसत" का वही अर्थ होगा जो समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 के क्रमशः धारा 64 की उपधारा (1) और धारा 66 की उपधारा (2) में उनके हैं ।

1963 का 11

(2) उपखंड (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय जलयान के संबंध में पक्षकारों के बीच देय तथा अपरिनिर्धारित कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि जलयान या उसका कोई हिस्सा विक्रय कर दिया जाएगा या ऐसा अन्य आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) जब उच्च न्यायालय जलयान के विक्रय का आदेश देता है तब विक्रय के कार्यवाहियों के हक के बारे में उत्पन्न होने वाले प्रश्न को सुनेगा और उसका अवधारण करेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी जलयान को बंदी बनाए जाने के लिए किए गए आदेश या विक्रय के लिए किसी जलयान का कोई आगम, नावधिकरण कार्यवाही के अंतिम आगम के किसी लंबित दावे के लिए प्रतिभूमि के रूप में धारित किया जाएगा ।

सर्वबंदी जलयान का बनाना ।

5. (1) उच्च न्यायालय किसी जलयान को बंदी बनाने के लिए आदेश कर सकेगा जो नावधिकरण के प्रतिकूल प्रतिभूति उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अपने अधिकारिता के भीतर हो, जो किसी नावधिकरण के अध्यधीन हो, जहाँ न्यायालय को निम्नलिखित कारण पर विश्वास हो कि–

(क) वह व्यक्ति, जो दावे के दायी है, समुद्री दावे के उद्भूत होने के समय जलयान का स्वामी था और जलयान को बंदी बनाए जाते समय स्वामी था ; या

(ख) वह समुद्री दावे के उद्भूत होने के समय जलायन के पट्टांतरण चार्टरर के दावे के लिए दायी है और जलयान को बंदी बनाए जाते समय जलयान के चार्टरर चार्टरर या स्वामी रहा हो ; या

(ग) दावा जलयान के बंधक या समरुप प्रकृति पर आधारित हो ; या

(घ) दावा जलयान की स्वामित्व या कब्जे से संबंधित हो ; या

(ङ) दावा जलयान के स्वामी, पट्टांतरण चार्टरर, प्रबंधक या प्रचालक के विरुद्ध है और धारा 9 में यथा उपबंधित समुद्री धारणाधिकार द्वारा प्रतिभूत है ।

(2) उच्च न्यायालय ऐसे जलयान के बदले में जिसके विरूद्ध उपधारा(1) के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समुद्री दावा हो नावधिकरण दावे के प्रतिकूल प्रतिभूति उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य जलयान को बंदी बनाए जाने के लिए भी आदेश कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई जलयान धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) अधीन समुद्री दावे की बाबत इस उपधारा के अधीन बंदी बनाए जाएंगे ।

व्यक्तिबंदी नावधिकरण की अधिकारिता ।

6. धारा 7 के अध्यधीन उच्च न्यायालय धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड(ब) में निर्दिष्ट किसी समुद्री दावा की बाबत व्यक्तिबंदी कार्रवाई द्वारा नावधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा ।

कतिपय मामलों में व्यक्तिबंदी कार्रवाईयों पर निर्बन्धन ।

7. (1) जहां निम्नलिखित में से उद्भूत कोई क्षति या जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति की बाबत उद्भूत कोई समुद्री दावा--

(i) जलयान के बीच की टक्कर से ;

(ii) एक या अधिक जलयानों की दशा में रक्षा चालें चलने का पालन करने या पालन करने का त्याग करने से ;

(iii) जलयानों के एक या अधिक भाग के टक्कर से अनुपालन के संबंध में विनियमन वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 285 के अनुसरण से, 1958 का 44

उच्च न्यायालय किसी प्रतिवादी के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि--

(क) वाद हेतुक पूर्णत: या भागत: भारत में उद्भूत न हुआ हो ; या

(ख) ऐसा प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही के प्रारंभ के समय, भारत में वास्तविक रूप से और स्वेच्छया निवास या कारबार या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है ;

परंतु यह किसी मामले में जहां कई प्रतिवादी हैं वहां उनमें से एक ऐसी कार्यवाही का पक्षकार बनाया गया है जो भारत में वास्तविक रूप से या स्वेच्छया निवास या कारबार या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कारबार नहीं करता है को न्यायालय की अनुमति से या उसके प्रतिवादी की सहमति से ऐसे संस्थित करने की कार्यवाही ग्रहण की जा सकेगी ।

(2) न्यायालय किसी ऐसे दावे के प्रवर्तन के लिए किसी व्यक्तिबंधी कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा जिसको यह धारा लागू होती है जब तक कि भारत के बाहर उसी प्रतिवादी के विरुद्ध किसी न्यायालय में उसी प्रसंगति या प्रसंगतियों की श्रृंखला के बारे में

वादी द्वारा पहले लायी गई कोई कार्यवाही बंद कर दी गई है या अन्यथा समाप्त हो गई है ।

(3) ये उपधारा (2) के उपबंध एक ही प्रसंगति या प्रसंगतियों की श्रृंखला से उद्भूत कार्यवाहीयों में प्रतिदावों के सिवाय कार्रवाईयों पर लागू होंगे ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए वादी और प्रतिवादी को निर्देश का अर्थांवयन क्रमशः प्रतिदावे में वादी को, नया प्रतिदावे में प्रतिवादी को निर्देश के रूप में किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध किसी कार्यवाही या प्रतिदावे को लागू नहीं होंगे यदि प्रतिवादी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में स्वंय प्रस्तुत करने का या प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं ।

(6) उच्च न्यायालय उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन किसी ऐसे दावे को प्रवर्तित करने के लिए किसी व्यक्तिबंधी कार्यवाही को ग्रहण करेंगा जिसको इस धारा के उपबंध तब लागू होते हैं जब उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई भी शर्त पूरी होती है और जहां यह लागू होगी वहाँ अधिकारिता के बाहर आदेशिका के तामील संबंधी नियम तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए लागू होंगे ।

जलयान के विक्रय पर अधिकारों का निहित होना ।

8. उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी नावधिकरण अधिकारिता के प्रयोग में जलयान के विक्रय पर जलयान सभी विल्लंगमों, धारणाधिकारों की कुर्की (जब्ती) रजिस्ट्रीकृत बंधकों और यान पर उसी प्रकृति के प्रभारों से मुक्त होकर जलयान क्रेता में निहित हो जाएगा ।

समुद्री धारणाधिकार पर परस्पर अग्रता ।

9. (1) प्रत्येक समुद्री धारणधिकार की परस्पर अग्रता निम्नलिखित आदेश के अनुसार होगा, अर्थात् :--

(क) जलयान के पूरक मास्टर अधिकारियों और अन्य सदस्यों को जलयान पर उनके नियोजन की बाबत वेतन और अन्य देयों जिसके अंतर्गत स्वदेश वापसी की लागत और उनकी ओर से देय सामाजिक बीमा के अभिदाय भी हैं के लिए दावे;

(ख) जलयान के प्रचालन से प्रत्यक्षत: संबंधित जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति होने के संबंध में दावे चाहे वे भूमि पर हों या जल में ;

(ग) जलयान की बचाव सेवा जिसके अंतर्गत उससे संबंधित विशेष प्रतिकर भी है हेतु पारिश्रमिक के लिए दावे ;

(घ) पत्तन, नहर और अन्य जलमार्ग के देय और यान मार्गदर्शन देयों तथा जलयान के संबंध में कोई अन्य कानूनी देयों के लिए दावे ;

(ङ) जलयान के प्रचालन द्वारा कारित हानि या क्षति से उद्भूत जलयान पर वहन किए जा रहे स्थोरा और आधानों की हानि या क्षति से भिन्न अपकृत्य पर आधारित दावे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुद्री धारणाधिकार किसी स्वामित्व या रजिस्ट्रीकरण या फ्लैग परिवर्तन के होते हुए भी जलयान निरंतर बना रहेगा और एक वर्ष की अवधि के अवसान पर समाप्त हो जाएगा जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान के पहले जिस जलयान को बंदी बनाया गया हो या अभिग्रहण किया गया हो या ऐसे बंदी

बनाए जाना या अभिग्रहण, उच्च न्यायालय द्वारा मान्य विक्रय को अग्रसर न हुआ हो :

परन्तु उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावा की अवधि, उस तारीख से जिसको संप्रत्यार्वतन की मजदूरी, राशि, लागत या सामाजिक बीमा, अभिदाय, बकाया या देय से दो वर्ष होगा ।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट समुद्री धारणधिकार से प्रारंभ होगी--

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में दावा करने वाले के भारमुक्त होने पर ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (ड.) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में दावा उत्पन्न होने पर ।

और उपरोक्त निलंबन या हस्तक्षेप के अध्यधीन नहीं होगा :

परंतु उस अवधि को अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान जलयान बंद था या अभिग्रहण में था।

(4) दावे के प्रतिभूति के लिए जलयान से लगा हुआ कोई समुद्री धारणाधिकार जो निम्न परिणामों से उत्पन्न होता है--

(क) तेल या अन्य परिसंकटमय या उपादान पदार्थों के समुद्र द्वारा बहन से संबंधित क्षति जिसके लिए क्षतिपूर्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में दावेदार को संदेय होता है;

(ख) विषैले, विस्फोटक या अन्य परिसंकटमय गुणों के साथ रेडियो एक्टिव गुण या रेडियो एक्टिव गुणों का संयोजन अथवा नाभिकीय ईंधन या रेडियो एक्टिव उत्पाद या अपशिष्ट ।

समुद्री दावों की पूर्विकता का आदेश ।

10. (1) नावधिकरण विषयक कार्यवाहियों में समुद्री दावों के अवधारण करने की तत्स्थानी पूर्विकता का अनुक्रम निम्नानुसार होगा--

(क) किसी जलयान पर दावा जिस पर समुद्री धारणाधिकार है ;

(ख) जलयान पर उसी प्रकृति के रजिस्ट्रीकृत बंधक और प्रभार हैं;

(ग) अन्य सभी दावे ।

(2) निम्नलिखित सिद्धांत पारस्परिक दावों की पूर्विकता के अवधारण करने में लागू होंगे--

(क) यदि पूर्विकता के कोई एकल प्रवर्ग में एक से अधिक दावे हैं, उनको उनकी बराबर मात्रा के अनुसार पंक्तिबद्ध किया जाएगा;

(ख) विभिन्न बचाव सेवा के लिए दावों को समय के विपरीत अनुक्रम में पंक्तिबद्ध किया जाएगा जब दावे प्रोदभूत हुए थे ।

बंदी बनाए गए जलयान का स्वामी पट्टांतरण, प्रबंधक या प्रचालक कर्मीदल की सुरक्षा ।

11. (1) उच्च न्यायालय उस दावाकर्ता पर जलयान को बंदी बनाए जाने या पहले से बंदी को बनाए रखने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में ऐसे अधिरोपित कर सकेगा जो बंदी बनाए जाने की मांग करता है या जिसने जलयान को बंदी बनाया जाना उपाप्त किया है, क्षति के रूप में ऐसी धनराशियों के संदाय करने का या कुछ वैसी ही रकम इस प्रकार की प्रतिभूति के बिना शर्त अपने ऊपर लेने और उन पर ऐसी प्रतिभूति का उपबंध करने

और ऐसी शर्तों पर जैसे उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए उसके दायित्व को किसी हानि या क्षति के लिए जो प्रतिवादी द्वारा बंदी बनाए जाने के परिणामस्वरूप उपगत हो और जिसके लिए दावाकर्ता को दायी पाया जा सके जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे परंतु यह उन तक ही सीमित नही होगा अर्थात् :--

(क) बंदी बनाया जाना दोषपूर्ण या अन्यायपूर्ण था ;

(ख) अत्यधिक प्रतिभूति की मांग की गई है और दी गई है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में प्रतिभूति दी गई है वहां वह व्यक्ति जो ऐसी प्रतिभूति देता है किसी भी समय उच्च न्यायालय को पर्याप्त कारणों के लिए, जैसे आवेदन में कथित है, प्रतिभूति में कमी, उपांतरण या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) यदि बंदी के पश्चात् जलयान के स्वामी का पट्टांतरण चार्टरर उसे परित्याग कर देता है तो नीलामी के लिए समुचित कार्यवाही करेगा और बंदी या परित्याग की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में कार्यवाही करेगा, जैसे न्यायालय ठीक समझे :

परंतु उच्च न्यायालय उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, जलयान की नीलामी की अवधि को तीस दिन की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

अध्याय 3

प्रक्रिया और अपील

1908 का 5

12. उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत या उसके विरुद्ध नहीं हो । सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना ।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा निर्धारणकर्ताओं को नियुक्त करेगी और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति, उनको भुगतान की जाने वाली फीस और अन्य सहायता तथा आनुषंगिक विषय नावधिकरण विषयक और समुद्री विषयों में ऐसी अर्हताओं या अनुभव के साथ एक सूची प्रकाशित करेगी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए ।

(2) निर्धारणकर्ताओं की नियुक्ति का किसी नावधिकरण विषयक कार्यवाही में किसी पक्षकार के द्वारा विशेषज्ञ साक्षी की परीक्षा से प्रवारित करने के रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा ।

14. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश की अपील उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को होगी । अपील ।

15. उच्चतम न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी नावधिकरण विषयक कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकेगा और पश्चातकथित उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, सुनवाई और अवधारण उस प्रक्रम से आगे करेगा जिस पर वह अंतरण के समय था : उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों का अंतरण ।

परंतु यह कि ऐसी कोई कार्यवाही तब तक अंतरण नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यवाही के पक्षकारों को इस विषय में सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम निम्नलिखित मामलों के सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारणकर्ताओं की अर्हता, अनुभव, कर्तव्यों की प्रकृति और संदत्त की जाने वाली फीस तथा अन्य सहायक या आनुषंगिक विषय ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन नावधिकरण अधिकारिता का व्यवहार और प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी कार्यवाहियों में फीस, लागत और व्यय भी है ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियम बनाए जाने तक उच्च न्यायालयों में नावधिकरण विषयक अधिकारिता के प्रयोग को शासित करने वाले तत्समय प्रवृत्त सभी नियम लागू होंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि इस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

17. (1) भारत में लागू निम्न अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है--

(क) नावधिकरण विषयक न्यायालय 1861 ;	24 और 25 विक्टोरिया अ 10
(ख) नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय 1890 ;	53 और 54 विक्टोरिया अ 27
(ग) नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक (भारत) न्यायालय 1891 ;	1891 का 16

(घ) लेटर्स पेटेंट 1865 के उपबंध जहां तक कि वे बम्बई कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नावधिकरण विषयक अधिकारिता के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) इस निरसन में किसी बात के होते हुए इस अधिनियम को प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित सभी नावधिकरण विषयक कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण

में इस प्रकार के उच्च न्यायालयों के द्वारा न्यायनिर्णीत होती रहेगी ।

(3) निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी बात के किए जाने या किसी कार्य के किए जाने जहां तक कि ऐसी बात या कार्य इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार किए गए समझे जाएंगे मानो कि ऐसी बात या कार्य किए जाते समय उक्त अधिनियम प्रवृत्त थे और तदनुसार तब तक बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा ऐसी बात का किया जाना या कार्य किया जाना को अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

(4) निरसित अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम, विनियम, उप-विधि या आदेश या जारी की गई नोटिस जहां तक कि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं है को इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन किया जाना या किया गया कार्य समझा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो उस कठिनाई को दूर कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में नावधिकरण अधिकारिता के लिए वर्तमान विधिक ढांचा ब्रिटिश द्वारा अधिनियमित विधियों से उद्भूत हुआ है, जो केवल उन उच्च न्यायालयों को नावधिकरण अधिकारिता प्रदान करती हैं जिन्हें लेटर्स पेटेंट, 1865 के अधीन स्थापित किया गया था । उच्चतम न्यायालय के एम.वी. एलिजाबेथ और अन्य *बनाम* हरवन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उसके निर्णय के पश्चात् देश में नावधिकरण विधियों को संहिताबद्ध और स्पष्ट करने के लिए भारत के विधि आयोग ने भी अपनी 151वीं रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए नावधिकरण अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए सिफारिश की है ।

2. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016 न्यायालयों की सिविल मामलों में नावधिकरण अधिकारिता, समुद्री दावों के संबंध में नावधिकरण की प्रक्रियाओं, जलयानों की बंदी और संबद्ध विषयों में नावधिकरण सेक्टर में आधुनिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा के अनुसार और प्रचलित अन्तरराष्ट्रीय व्यवहारों के साथ समानता बनाने के लिए विद्यमान ब्रिटिश युग की विधियों का समेकन करता है ।

3. विधेयक तटीय राज्यों के उच्च न्यायालयों को नावधिकरण अधिकारिता प्रदान करने के लिए भी प्रस्ताव करता है । यह भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्री जलों तक अधिकारिता का विस्तार करता है । केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अनन्य आर्थिक जोन तक या भारत के किसी अन्य समुद्री क्षेत्रो अथवा भारत के राज्यक्षेत्र का भाग बनने वाले द्वीपों पर और विस्तार करने के लिए सशक्त है । विधेयक, स्वामी के निवास या अधिवास के स्थान का विचार किए बिना प्रत्येक जलयान को समाविष्ट करता है । तथापि, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले युद्धपोत और नौ सेना सहायक या अन्य जलयान इसकी सीमा से बाहर हैं । यद्यपि, अन्तर्देशीय जलयानों और निर्माणाधीन जलयान को उसके उपयोग से अपवर्जित किया गया है, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यदि आवश्यक हो, इन जलयानों पर उसे लागू करने के लिए भी सशक्त है । विधेयक कतिपय परिस्थितियों में पहचान किए गए समुद्री दावों का न्यायनिर्णयन और समुद्री दावों, जलयानों की बंदी के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करता है । विधेयक, समुद्री धारणाधिकार पर पारस्परिक अग्रता के लिए भी उपबंध करता है । किसी जलयान से संबंधित चुने गए समुद्री दावों के अधीन रहते हुए समुद्री धारणाधिकारों के माध्यम से उसके नए स्वामियों पर संक्रांत हो जाता है । ऐसे पहलुओं के संबंध में, जिन पर विधेयक में उपबंध अधिकथित नहीं किए गए हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू होगी । यह विधेयक व्यक्तिबंधी नावधिकरण अधिकारिता और समुद्री दावों की पूर्विकता के क्रम से भी संबंधित है ।

4. यह प्रस्ताव किया जाता है कि सिविल मामलों से संबंधित चार पुरातन नावधिकरण विधियों, अर्थात् (क) नावधिकरण न्यायालय अधिनियम, 1861, (ख) नावधिकरण विषयक उपनिवेशक न्यायालय अधिनियम, 1890, (ग) नावधिकरण विषयक उपनिवेशक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891 और लेटर्स पेटेंट, 1865 के उपबंधों को, जहां तक वह बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की नावधिकरण अधिकारिता को लागू होता है, निरसित किया जाए क्योंकि ये उपबंध इस विधान के अधिनियम के साथ

ही अनावश्यक हो जाएंगे ।

(5) यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 नवम्बर, 2016

नितिन गडकरी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 1 के उपखंड (1) का प्रथम परन्तुक केन्द्रीय सरकार को किन्हीं अन्तर्देशीय जलयानों या निर्माणाधीन जलयान को प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत लाने हेतु अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने के लिए है जिसे अभी जल में उतारा नहीं गया है ।

खंड 1 के उपखंड (2) का दूसरा परन्तुक केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे विदेशी जलयान को जिसे गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है, यह अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने के लिए है कि वह प्रस्तावित विधान के अध्यधीन नहीं होगा ।

खंड 2 के उपखंड (1) की मद (ङ) केन्द्रीय सरकार को किसी उच्च न्यायालय से भिन्न उन न्यायालयों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव करने के लिए है जिन्हें प्रस्तावित विधान के अधीन नावधिकरण अधिकारिता को प्रयोग करने के लिए मद में सूचीबद्ध किया गया है ।

खंड 3 का परन्तुक केन्द्रीय सरकार को राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 2 के सीमाधीन तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 13 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को निर्धारणकर्ता को नियुक्त करने और उनकी सूची अधिसूचित करने के लिए और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों, जिनके अन्तर्गत उन्हें संदत्त की जाने वाली फीस भी है, के संबंध में नियम बनाने के लिए समर्थ बनाने के लिए है ।

खंड 16 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करने हेतु है । नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तावित अधिनियम के अधीन नावधिकरण विषयक अधिकारिता की पद्धति और प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी प्रक्रियाओं की फीस, लागत और व्यय भी है, उपबंध करेंगे ।

खंड 18 का उपखंड (1), कठिनाईयों को, यदि कोई हों, दूर करने के लिए प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व आदेश जारी करने के लिए सशक्त करने हेतु है ।

ऐसे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध व्यवहार्य नहीं है ।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—3045LS(CRC)—15-11-2016.

नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	6	सहायक नौसेना	नौसेना सहायक
3	27	महाद्धापीय	महाद्वीपीय
6	12	(क) अधीन	(क) के अधीन
7	20	धारणधिकार	धारणाधिकार
8	5	धारणधिकार	धारणाधिकार
8	15	बहन	वहन
9	5	था ;	था ; या
10	5	अधिसूचना	अधिनियम
10	12	विषय ; और	विषय ;
10	14	भी है ।	भी है ; और
10	पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़े--		
	(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।		
10	28	न्यायालय 1861	न्यायालय अधिनियम, 1861
10	29	उपनिवेशिक न्यायालय 1890	उपनिवेशक न्यायालय अधिनियम, 1890
10	30	उपनिवेशिक (भारत) न्यायालय 1891	उपनिवेशक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891
12	18	जोन	क्षेत्र
12	34	नावधिकरण न्यायालय	नावधिकरण विषयक न्यायालय